

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2019—वैशाख 13, शक 1941

## भाग ४

विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

सूचना

क्र. एफ 2-11-2018-सात-शा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (एक-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर, संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

### प्रारूप संशोधन

इन नियमों में,—

(1) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“2. किसी संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करने या किसी नवीन संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील को सृजित करने या किसी विद्यमान संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-एक में प्रकाशित किया जाएगा.”

(2) प्ररूप-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

### प्ररूप-एक (नियम 2 देखिए) सूचना

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार . . . . . संभाग/जिले/उप-खंड/तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन . . . . . संभाग/जिला/उप-खंड/तहसील निर्मित करने, विद्यमान . . . . . संभाग/जिले/उप-खंड/तहसील को समाप्त करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व अग्रेषित किए जा सकेंगे:—

### अनुसूची

अनुक्रमांक	विद्यमान संभाग/ जिले/उप-खण्ड/ तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/ उप-खण्ड/तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले या अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उप-खण्ड/ तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् संभाग/जिले/ उप-खण्ड/तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण	परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उप- खण्ड/तहसील की सीमाएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					उत्तर में . . . . . पूर्व में . . . . . दक्षिण में . . . . . पश्चिम में . . . . .	
2					उत्तर में . . . . . पूर्व में . . . . . दक्षिण में . . . . . पश्चिम में . . . . .	

प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए कारण

(3) इन नियमों से संलग्न प्ररूप-दो का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ 2-11-2018-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-11-2018-सात-शा. 7, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 30th April 2019

#### NOTICE

No. F-2-11-2018-VII-S7.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Sambhagon, Jilon, Upkhandon Tatha Tahsilon Ke Pariwartan, Srijan Tatha Samapti) Niyam, 2018 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 read with sub-section (1) and clause (i-a) of sub-section (2) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

#### DRAFT OF AMENDMENTS

In these rules,—

1. For rule 2, the following rule shall be substituted, namely—

"2. Any proposal to alter the limits of any division or district or sub-division or tahsil or to create a new or abolish an existing division or district or sub-division or tahsil shall be published in Form-I appended to these rules."

2. For Form-I, the following Form shall be substituted, namely,—

"FORM-I  
(See rule 2)

#### NOTICE

In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by the said Section, the State Government proposes to alter the Limits of.....division/district/sub-division/ tahsil, to create a new.....division/district /sub-division/tahsil, to abolish the existing.....division/district/sub-division/tahsil and to define the boundaries thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette" and any objections or suggestion in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary to Government, Madhya Pradesh, Revenue Department, before the expiry of the said period:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the existing Division/District/Sub-division/Tahsil and its headquarter	Proposed changes (Give particulars of the areas to be included in or excluded from the existing Division/District/Sub-division/Tahsil)	Name of the Division/District/Sub-division/Tahsil and its headquarter after the proposed changes	Particulars of the areas comprised in the Division/District/Sub-division/Tahsil after the proposed changes	Limits of the Division/District/Sub-division/Tahsil after the proposed changes	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					In North . . . . . In East . . . . . In South . . . . . In West . . . . .	
2					In North . . . . . In East . . . . . In South . . . . . In West . . . . .	

Reasons for proposed changes . . . . .

3. Form II appended to these rules shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.